

## राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

### आ दे श

भैरू लाल बनाम राजस्थान राज्य।  
 (एकलपीठ दाण्डिक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या-111/2015)  
 अन्तर्गत  
 (एकलपीठ दाण्डिक अपील संख्या-119/2015)

.....

**27.02.2015**

### माननीय न्यायाधिपति श्री विष्णु कुमार माथुर

श्री नसीमुद्दीन काजी, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।  
 श्री वीरेन्द्र गौदारा, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

-----

अपीलार्थी द्वारा यह दाण्डिक अपील विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक मुतफर्कि प्रकरण संख्या-35/2006 में अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय एवं सजा दिनांक-2.02.2015 अन्तर्गत धारा-344, दण्ड प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ एक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के विरुद्ध पारित सजा को अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी प्रकरण के विचारण के दौरान जमानत पर स्वतंत्र था तथा वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की एक माह की अवधि के लिए सजा स्थगित रखी हुई है। उनका यह भी कथन है कि अपील के निस्तारण में समय लगना संभावित है अतः विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी के विरुद्ध पारित सजा के आदेश दिनांक-2.02.2015 के निष्पादन को अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित फरमाया जावे। लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी तथा सुयोग्य लोक अभियोजक को सजा स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा अपील के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम-311(3) का प्रमाण पत्र संयोजित किया गया है, जिससे प्रकट है कि अपीलार्थी/प्रार्थी प्रकरण के विचारण के दौरान जमानत पर स्वतंत्र था तथा वर्तमान में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की सजा एक माह की अवधि के लिए स्थगित रखी हुई है। विद्वान

अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थी का कथन है कि अपील के निस्तारण में समय लगना सम्भावित है अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा पारित सजा आदेश दिनांक-2.02.2015 के निष्पादन को अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित किया जाना उचित प्रतीत होती है।

अतः आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/प्रार्थी भैरू लाल पुत्र लालू राम विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 25,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इसी राशि की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ इस आशय की प्रस्तुत कर दें कि वह दिनांक-27.03.2015 को एवं तदुपरान्त जब भी न्यायालय द्वारा आहूत किया जावेगा, न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जावेगा तो विशिष्ट न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन दाण्डिक मुतफर्रिक प्रकरण संख्या-35/2006 में पारित निर्णय दिनांक-02.02.2015 द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को दी गई सजा का निष्पादन इस अपील के अन्तिम निस्तारण तक स्थगित रहेगा।

(न्या. विष्णु कुमार माथुर)

एमसीएस.

75

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed”

Mahesh Chandra Sharma

P. S.